[Integrated GST Rules]

The Integrated goods and Services Tax Rules, 2017

Notification No. 4/2017 – Integrated Tax, G.S.R. 699(E), Dated 28/06/2017- In exercise of the powers conferred by section 22 of the Integrated Goods and Services tax Act, 2017 (13 of 2017) read with section 20 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER - I

PRELIMINARY

Rule 1: Short title and Commencement

- (1) These rules may be called the Integrated Goods and Services Tax Rules, 2017.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 22nd day of June, 2017.

एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017

एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017

अधिसूचना क्रमांक 4/2017—एकीकृत कर, दिनांक 28.06.2017-सा.का.नि. 699 (अ)-केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः

नियम 1 : संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017 है।
- (2) ये 22 जून, 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

www.cggst.com